

26/5/2025

वकील उमथपक्ष उपन। बहस वरुण हेतु पत्रावली
दिनांक 13/6/2025 को रोक के

SSC

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय सीरे /
कार्यालय न्यायाधीश / तादीनात राजकार्य में
हस्ताक्षर करने कारण दिनांक 13/6/25
को अहकाम मुकदमात में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 25/6/25
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय सीरे /
कार्यालय न्यायाधीश / तादीनात राजकार्य में
हस्ताक्षर करने कारण दिनांक 25/6/25
को अहकाम मुकदमात में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 09/07/2025
नियत की जाती है।

9/7/2025

वकील उमथपक्ष उपन। बहस वकील उमथपक्ष
सुनी गई। वकील अपाधी द्वारा निवेदन किया
गया है कि वकील अपाधी द्वारा पूर्व वाद केदा
बनाम रामनाथ व वरिगन प्रपत्र के पक्षकार
एक समान व विवाहक विधम एक समान है और
अनुलक्ष भी एक समान है। अपाधी द्वारा विवाहक
प्रकरण में लम्बी लखवालेदारों के पक्षकार नहीं
बनाया गया। अपाधी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी
एक पक्षकार के बनाया जाकर नहीं दिया जा सकता
है। अपाधी का प्रपत्र खारिज करमाया जावे।
वकील अपाधी द्वारा निवेदन किया गया है कि पूर्व
पेश किया गया वादपत्र व वरिगन प्रपत्र में
पक्षकार व प्रकरण भिन्न है। अपाधी द्वारा चाहा
गया रास्ता में बाहमी बहारा में अपाधी के हक
में भूमि आ रही है। जिसमें लम्बी पक्षकारों के
पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। अपाधी का
प्रपत्र 10 CPC खारिज करमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया एवं बहस वकील उमथपक्ष का
मनन किया गया। अपाधी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 10 CPC
स्वीकार किया जाता है कि क्योंकि अपाधी द्वारा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सभी आवश्यक सदस्यों के पक्षों को
नहीं बनाया गया है और प्रत्येक एक ही
वसरा नम्बर से सम्बन्धित प्रकल-पृथक-
पृथक लगाया जाना चाहिए। प्रार्थी
का प्रार्थनापत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम खारिज किया जाता है क्योंकि
पत्रावली केवल शुभारंभ के नम्बर से कहीं
तथा बाद तकमिल दफ्त काबिल है।

४४२